न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 88/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/453

दायर दिनांक :– 28.04.2022 निर्णय दिनांक :– 04.04.2025

1. मंगलाराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. बाबूराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
2. सहीराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
3. गणपतराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
4. समदा पुत्री मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुरती पत्नी मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
6. सोढाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
7. रूखमणी पत्नी सोढाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
8. एलची पत्नी भज्जूराम पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. मनोहरराम गोदपुत्र बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
10. नोजी पत्नी बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
12. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :—1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि ग्राम जाम्बा पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 484 रकबा 72—17 बीघा, खसरा नम्बर 678 रकबा 74—14 बीघा, खसरा नम्बर 687 रकबा 103—00 बीघा, खसरा नम्बर 686 रकबा 0—11 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्राथी के विरूद्व राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 143/2017 है। उक्त वाद के निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर बाप द्वारा दिनांक 26.06.2018 को कर दिया था। उक्त निर्णय के आधार नामान्तरकरण संख्या 70 मौजा देवलीजाल व

04/4/25

सहायक कलक्टर

बाप (जोधपुर)

नामान्तरकरण संख्या 579 मौजा जाम्बा की ढाणी भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके मुकदमा नम्बर 144/2018 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 26.02.2018 को अपास्त कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय द्वारा दिनांक 19.02.2021 को सहायक कलक्टर बाप के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है लेकिन आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानूनन कोई महत्व नहीं रहा है लेकिन फिर भी पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिये उक्त पूर्व निर्णय के नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 मौजा देवलीजाल व नामान्तरकरण संख्या 579 मौजा जाम्बा की ढाणी से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 13 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के निर्णय/डिक्री दिनांक 26.06.2018 की पालना में मौजा देवलीजाल नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 एवं मौजा जाम्बा की ढाणी नामान्तरकरण संख्या 579 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2021 को अपास्त किये गये है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 मौजा देवलीजाल एवं नामान्तरकरण संख्या 579 मौजा जाम्बा की ढाणी जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 मौजा देवलीजाल व नामान्तरकरण संख्या 579 मौजा जाम्बा की ढाणी से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के राजस्व वाद संख्या 143/2017 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 26.06.2018 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस डिक्री की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 मौजा देवलीजाल एवं नामान्तरकरण संख्या 579 मौजा जाम्बा की ढाणी के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

04/4/22

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व वाद संख्या 143/2017 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 26.06.2018 की पालना में मौजा देवलीजाल के नामान्तरकरण संख्या 70 व 209 एवं मौजा जाम्बा की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 579 को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)